न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 04 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013 | 22.01.2013 | 03.02..2022 |

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन निवासी टोंक रोड उनियारा जिला टोंक
2–प्रोपरायटर श्री ओम प्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन टोक रोड उनियारा जिला टोंक मैसर्स बाबू लाल ओम प्रकाश बस स्टेण्ड उनियारा
3–मैसर्स बाबू लाल ओम प्रकाश बस स्टेण्ड उनियारा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

**जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52**

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री विकम जैन अभिभाषक,अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 03.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.09.2012 को समय 1.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मैसर्स बाबू लाल ओम प्रकाश बस स्टेण्ड उनियारा पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन निवासी टोंक रोड उनियारा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक श्री ओम प्रकाश जैन को होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **पान मसाला (दिलबाग)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विकेता श्री महेन्द्र कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता महेन्द्र कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे कागज के 4 कार्टनो मे लगभग 100 पैकेट पैक पैक्ड अवस्था मे **पान मसाला (दिलबाग)** रखे हुये मे से [illegible] का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के [illegible] महेन्द्र कुमार जैन को रू0 248/–अक्षरे दौ सौ अडतालीस रूपये नगद देकर [illegible] प्राप्त की जिस [illegible] विकेता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **पान मसाला (दिलबाग)**खरीदशुद्वा 4 पैकेट को ज्यो का त्यो बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं क्रमांक I–378 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–378 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. महेन्द्र कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2012 / 3719 दिनांक 03.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0 सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 674 / एक्ट / 2012 / 678 दिनांक 08.10.2012 अनुसार महेन्द्र कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **पान मसाला (दिलबाग)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **पान मसाला (दिलबाग)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **पान मसाला (दिलबाग)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला (दिलबाग)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक

अतिरिक्त जिला ... टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन निवासी टोंक रोड उनियारा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री ओम प्रकाश जैन पुत्र श्री बाबू लाल जैन टोक रोड उनियारा जिला टोंक मैसर्स बाबू लाल ओम प्रकाश बस स्टेण्ड उनियारा पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार हजार रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

3-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:14:38 IST
Reason: SelfAttested